न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली ज़ैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 426 सन 2018

अनवान :–

1. रामेश्वर 2 भूपसिह 3 भैराराम 4 कन्हीराम पि0 गिरधारी लाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पुत्री गिरधारी पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. बिमला पुत्री गिरधारीलाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा
4. राजबाला पुत्री गिरधारी लाल पत्नि मोहरसिह जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. कृष्णा पुत्री गिरधारीलाल पत्नि कमलेश जाति जाट निवासी सूरपुरा तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री हरिहस सिहाग अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दलपतपुरा के ख0न0 191 की 10.4460हैक , खसरा न0 213 की 7.3100हैक कुल 17.7560हैक भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है वादभूमि पूर्व में वादी के दादा उदमीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुइ विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा दलपतपुरा के खसरा नम्बर 191 की 10.4460हैक , खसरा न0 213 की 7.3100हैक कुल 17.7560हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official